उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

रैयती मान्यता वाद संख्या–12 / 2015–16

राज्य बनाम पुनीत दुसाध।

आदेश

28.5.17

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के पत्रांक 75 / रा0 दिनांक 19–01–2017 से अभिलेख संख्या–12 / 2015–16 मौजा–विसोडीह, थाना नं0–48, खाता नं0–24, प्लॉट नं0–1049, रकवा–0.80ए0 मधे रकवा–0.38ए0 गैरमजरूआ खास भूमि का रैयती मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत रकवा–0.80एकड़ भूमि की जमाबन्दी पंजी–II के पृ0 सं0–104 / 01 पर पुनीत दुसाध पिता–गणेश दुसाध के नाम से कायम है तथा लगान रसीद वर्ष 1976–77 से 2005–06 तक निर्गत है। उक्त भूमि बन्दोबस्ती वाद संख्या–50 / 1975–76 के द्वारा हासिल है। उक्त भूमि मधे रकवा–0.38 एकड़ भूमि के0टी0पी0एस0, डी0वी0सी0, बांझेडीह परियोजना निर्माण हेतु अधियाचित है।

अंचल अधिकारी, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के द्वारा प्रस्तावित भूमि मौजा–विसोडीह, थाना नं0–48, खाता नं0–24, प्लॉट नं0–1049, रकवा–0.80 एकड़ मधे रकवा 0.38ए0 को रैयती मान्यता प्रदान करने हेतु अनुशंसा कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा गया है।

उपायुक्त, कोडरमा के द्वारा विपक्षी को नोटिस कर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। विपक्षी पुनीत दुसाध के पुत्र कार्तिक पासवान के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा लिखित जवाब निम्नवत है:–

मौजा–बिसोडीह, थाना नं0–48, खाता नं0–48, खाता नं0–24, प्लॉट नं0–1049, रकवा–0.0 एकड़ मेरे दादाजी स्व0 पुनीत दुसाध के नाम से 1975–76 से विधि पूर्वक जमाबन्दी स्थापित है। उक्त जमीन पर हमारा संपूर्ण परिवार अथक श्रम कर व धन व्यय कर इस जमीन को कृषि योग्य बनाये तथा उस जमीन पर कृषि कार्य करते रहे थे। उक्त जमीन पर हमारे परिवार का लंबे समय से विधि पूर्ण कब्जा था इसका लगान रसीद भी हमारे पिता नाम (पुनीत दुसाध) निर्गत है। उक्त संबंधित दस्तावेज / कागजात मैटर ऑफ रिकार्ड है। मैं, पुनीत दुसाध का वैध उत्तराधिकारी हूँ तथा मेरे पिताजी को विधिनुसार जमाबन्दी की गई थी तथा हमारा विधि पूर्वक दखल व शांति पूर्ण कब्जा हमेशा था, जिसपर हमारा संपूर्ण परिवार विधि पूर्वक दखल व शांति पूर्ण कब्जा हमेशा था, जिसपर हमारा संपूर्ण परिवार विधि पूर्वक अपना घर बना कर रहते थे तथा कृषि कार्य जीविकोपार्जन करते थे।

उक्त वर्णित जमीन D.V.C. द्वारा दिनांक 2015 में जगह अधिग्रहण कर लिया गया तथा इसका मुआवजा भी हमें नहीं दिया गया है। अतः उक्त जमीन पर हमें रैयत की मान्यता प्रदान करें।

सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया है कि उक्त जमीन पर पुनीत दुसाध के नाम से 1975–76 से जमाबन्दी स्थापित है। उक्त जमीन पर रैयती मान्यता प्रदान किया जा सकता है।

अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। प्रश्नगत जमीन पर पुनीत दुसाध के नाम से 1975–76 से जमाबन्दी कायम है और उनका दखल कब्जा है। अतः अंचल अधिकारी, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा की अनुशंसा के आलोक में उक्त जमीन पर रैयती मान्यता प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

29/5

उपायुक्त, कोडरमा।

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त
सत्यमेव जयते
कोडरमा

29/5

उपायुक्त
कोडरमा।